न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–95/2023

रमेश दुबे एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय कुमार द्विवेदी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
13.02.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 16.06.2023 के आदेश हेतु नियत है। वादीगण की ओर से दिनांक 16.06.2023 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादीगण के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 16.06.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण ने अपनी हकियत घोषित करने वास्ते दाखिल किया है। वादी सं0–01 रमेश दुबे, अरूण कुमार द्विवेदी एवं अशोक कुमार दुबे वादी सं0–02 एवं 03 के पिता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वंशवृक्ष से दर्शित होता है कि चीलर दुबे के दो पुत्र जयश्री दुबे एवं गगनदेव दुबे थे। चीलर दुबे एवं उनके दोनों पुत्र आपस में सन्–1938 में कुल खतियानी भूमि एवं मौरूसी जायदाद का बंटवारा कर लिये तथा अपने–अपने हिस्से की एराजी पर दखल कब्जें में चले आये। बच्चा दुबे की माँ उनकी पैदाईश के दिन से ही स्वर्गवासी हो गयी। गगन दुबे एवं उनकी जौजा ने बतौर पुत्र बच्चा दुबे को अपने साथ रख लिया और पालन पोषण करने लगे। बच्चा दुबे भी गगनदेब दुबे की सेवा टहल करने लगे। जिससे खुश होकर गगनदेव दुबे ने अपने हिस्से की कुल एराजी 03 बिगहा 19 कट्ठा साढे 13 धुर निबंधित बक्खशीशनामा दस्तावेज दिनांक 02.06.1965 को बक्खशीश कर दिये तथा दखल कब्जा दे दिये तथा गगनदेव दुबे नावल्द स्वर्गवासी हो गये। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दिगर पट्टीदार विश्वनाथ दुबे ने खाता–89, खेसरा–387 की 09 धुर एराजी दिनांक 16.06.1971 को बच्चा दुबे के पक्ष में बयनामा कर दिये और दखल कब्जा दे दिये। बच्चा दुबे अपने 06 पेसरान मधुसुदन दुबे, मदन दुबे, माधुरी दुबे, रमेश दुबे, अवधेश दुबे एवं सुरेश दुबे को छोडकर	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–95/2023</u>

रमेश दुबे एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय कुमार द्विवेदी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.02.2024	वफात कर गये। बच्चा दुबे उनके सभी पेसरान बक्ख्शीश वाली एराजी एवं सन् 1971 की खरीदगी एराजी आपस में 1995 में बंटवारा कर लिये। इस बंटवारा में खेसरा–387 की 01 कट्ठा 05 धुर तथा खेसरा–169 की साढे 10 धुर भूमि दिगर भूमि के साथ वादी सं0–01 के हिस्से एवं दखल कब्जें में आयी। वादी सं0–03 अशोक कुमार दुबे मुंबई रहते है। जून 2022 में वादी सं0–02 अरूण कुमर द्विवेदी अपने पिता रमेश दुबे एवं अपनी माँ को लेकर ईलाज के लिए मुंबई गये थे कि दिनांक 25.06.2022 को प्रतिवादीगण ने वादी सं0–01 की बक्ख्शीश वाली भूमि तथा वादी सं0–02 एवं 03 की खरीदगी एराजी अंश पर दखल कब्जा कर लिया। प्रतिवादीगण खेसरा–169 की 04 धुर भूमि पर छत ढलवा लिये तथा खेसरा–387 की 09 धुर एराजी गसबन कर पक्का बाउन्डरी दिवाल का निर्माण कर लिये। वाद का संतुलन वादीगण के पक्ष में है। सुविधा की तुला भी वादीगण के पक्ष में है। अगर वादीगण का आवेदन स्वीकार नही किया जाता तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रस्तुत निषेधाज्ञा आवेदन को स्वीकार करते हुए वाद की सुनवाई तक प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने एवं बिक्री करने से रोका जाय। इसके लिए वादीगण श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगें। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 18.12.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से खारिज योग्य है। वादीगण ने प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे मद सं0–02 अर्जी नालिश पर अपने हकियत की घोषणा, दखल कब्जें की वापसी तथा संरचना को तोडकर प्राप्त करने के लिए किया है। वादीगण ने वादपत्र की कंडिका 09 में अपने को वादग्रस्त भूमि से बेदखल मानते हुये कंडिका 10 में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को अन्य एराजी में मिलाकर छत ढलवा लिये	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–95/2023

रमेश दुबे एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय कुमार द्विवेदी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.02.2024	है तथा पक्की बाउन्डरी का भी निर्माण कर लिये है। अतः वादीगण द्वारा दिया गया आवेदन बेकार है। जिस पर कोई अंतरिम आदेश पारित नही किया जा सकता। वादीगण ने वादपत्र के मद सं0–02 पर अपने को बेदखल मानते हुये अनुतोष की याचना किया है लेकिन वादपत्र में कोई मद सं0–02 वर्णित नही है। वादी का आवेदन तथा वादपत्र अस्पष्ट एवं अधुरा होने की वजह से खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि एवं अन्य भूमि पर प्रतिवादीगण का पक्का छतदार घर एवं बाउन्डरी वाल उनके पूर्वजों के समय से तथा सन 1961 के खरीदगी के आधार पर चला आ रहा है तथा कुछ अंश पर प्रतिवादी सं0–02 उदय कुमार दुबे तथा उनकी पत्नी शोभा देवी के बयनामा के आधार पर अतुल कुमार द्विवेदी का दखल कब्जा चला आ रहा है। वादीगण, प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत वाद दाखिल किये है। बयान तहरीरी एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि वादी का कोई प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा की तुला हासिल नही है तथा प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने से वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नही है। अतः वादीगण का आवेदन खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादपत्र की अनुसूची–02 की एराजी पर वादीगण की हकियत घोषित करने तथा प्रतिवादीगण द्वारा सय एराजी पर अवस्थित किसी भी तरह की संरचना को अदालत द्वारा तुडवाकर वादीगण को दखल कब्जा दिलाने एवं अन्य अनुतोषों हेतु दाखिल किया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है? एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–95/2023</u>

रमेश दुबे एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय कुमार द्विवेदी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.02.2024	आचरण कैसा है ? वादीगण का कहना है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज के वंशज है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में वंशवृक्ष दिया है। जिससे स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज चीलर दुबे के वारिसान है। चीलर दुबे अपने दोनों पुत्र जयश्री दुबे एवं गगनदेव दुबे से सन् 1938 में बंटवारा द्वारा अलग हो गये थे। बच्चा दुबे की माँ के स्वर्गवासी होने के बाद गगनदेव दुबे एवं उनकी पत्नी ने बच्चा दुबे का पालन पोषण किया तथा अपने हिस्से की कुल एराजी 03 बिगहा 19 कट्ठा साढे 13 धुर बजरिये रजिस्ट्रर्ड बक्ख्शीशनामा के आधार पर दिनांक 02.06.1965 को बच्चा दुबे को बक्ख्शीश कर दिया एवं दखल कब्जा दे दिया। बच्चा दुबे अपने 06 पुत्र मधुसुदन दुबे, मदन दुबे, माधुरी दुबे, रमेश दुबे, अवधेश दुबे एवं सुरेश दुबे को छोडकर वफात कर गये। उनके सभी पेसरान ने बक्ख्शीश सुबे एराजीयात एवं सन् 1971 में खरीदगी 09 धुर भूमि को सन् 1995 में बंटवारा कर लिया। बंटवारा में खेसरा–387 की मिलजुमला रकबा 01 कट्ठा 05 धुर एराजी तथा खेसरा–169 की मिलजुमला रकबा साढे 10 धुर एराजी वादी सं0–01 के हिस्से एवं दखल कब्जें में आया। वादी सं0–02 एवं 03 ने खेसरा–169 की मिलजुमला एराजी बजरिये रजिस्ट्रर्ड दस्तावेज दिनांक 01.06.2015 पट्टीदार वशिष्ट दुबे से बयनामा से खरीद एवं हासिल किया। जबकि प्रतिवादी सं0–01 का कहना है कि जयश्री दुबे मौजा–रमौली के मध्यवर्ती भूस्वामी थे जिनके नाम से खेवट न0–16 दर्ज हुआ। जयश्री दुबे संसारमन दुबे के साथ खेवटादार वगैरह थे तथा खाता–89 गैरमजरूआ व्रतदरान यानी मध्यवर्ती भूस्वामी की जायदाद थी। खाता–89 खेसरा–387 का कुल रकबा 03 कट्ठा 13 धुर तथा खेसरा–169 का कुल रकबा 11 कट्ठा 19 धुर अन्य भूमि के साथ गैरमजरूआ व्रतदरान करके दर्ज है। खेसरा–387 के अभ्युक्ति कॉलम में बाँस कोठी 01 बकब्जें जयश्री दुबे मुन्दर्जे खेवट न0–16 अन्य	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–95/2023</u>

रमेश दुबे एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विजय कुमार द्विवेदी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.02.2024	खेवटदार के साथ दर्ज है। यानी उपरोक्त खाता में जयश्री दुबे भी एक हिस्सेदार थे। आपसी बंटवारा में जो जायदाद जयश्री दुबे को मिला उस पर कब्जा दखल में चले आये तथा वरासतन प्रतिवादीगण के हकियत एवं कब्जें मे चला आ रहा है अर्थात उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि बंटवारे द्वारा अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि बताते है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादीगण की ओर जाता हुआ प्रतीत नही होता है। वादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना दखल कब्जा न होना स्वीकार करते है तथा प्रतिवादीगण का दखल कब्जा होना स्वीकार किया है तथा खेसरा न0–169 की 04 धुर की भूमि पर छतदार मकान तथा खेसरा–387 की 09 धुर एराजी पर पक्का बाउन्डरी दिवाल वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में प्रतिवादीगण के द्वारा किया जाना स्वीकार किया है। अतः सुविधा की तुला भी वादीगण के पक्ष में जाती हुई प्रतीत नही होती है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे स्पष्ट हो कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के विक्रय हेतु तत्पर हो। अतः वादीगण के आवेदन को अस्वीकार किये जाने से वादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होना भी प्रतीत नही होती है। अतः वादीगण का आवेदन दिनांक 16.06.2023 को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 13.03.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	